न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

(श्री उपेन्द्रकुमार शर्मा आर.ए.एस)

पत्रावली संख्या 2/2017

किस्म प्रकरण–अपील नामान्तरकरण

निर्णय दिनांक–13.06.2024

अनवान्

श्रीमती सायरीबाई पुत्री स्व.दौलाजी धर्मपत्नि छगनलालजी गुर्जर निवासी खाका का गुडा तहसील गढबोर,हाल निवासी मादडी(गोवलिया) ......अपीलाण्ट

बनाम

1–श्री उदयलाल पिता स्व.दौलाजी गुर्जर निवासी खाका का गुडा तहसील गढबोर

2–श्री मांगीलाल पिता केसाजी गुर्जर निवासी खाका का गुडा तहसील गढबोर

3–सरपंच ग्राम पंचायत टाडावाडा गुजरान तहसील गढबोर

.....रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 131 निर्णय दिनांक 24.08.1988 ग्राम पंचायत टाडावाडा गुजरान तहसील गढबोर को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थितः–1–श्री अशोक कुमार सोनी अधिवक्ता अपीलाण्ट

उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

–:निर्णयः–

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खाका गुडा की जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 के खाता संख्या 20 किता–1 रकबा 00.03.00, खाता संख्या 26 किता–2 रकबा 7.00.00, खाता संख्या 32 किता–1 रकबा 0.03.00, खाता संख्या 38 किता–8 रकबा 5.16.10, खाता संख्या 39 किता–1 रकबा 0.03.00 बीघा भूमिया अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय दौला पिता भीमा जी गुर्जर के नाम पर सहखातेदारी एवं खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी। स्व.दौला पिता भीमा जी गुर्जर के वारिसान दो पुत्रीयां अपीलाण्ट सायरीबाई व केसी बाई एवं एक पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उदयलाल है केसीबाई के फौत होने से उसके विधिक वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेंण्ट संख्या 1 दोनो ही है । अपीलांट के पिता स्व. दौला पिता भीमाजी गुर्जर की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत टाडावाडा [illegible] बिना जांच किये निर्णित कर देने से उक्त भूमिया अकेले रेस्पोडेण्ट [illegible] दर्ज हो गई व उदयलाल द्वारा उक्त भूमिया विक्रय करने [illegible] 2 मांगीलाल के नाम पर दर्ज हो गई । उक्त नामान्तरकरण अकेले रेस्[illegible] नाम पर निर्णित करने [illegible]थित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेण्ट संख्या 1व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल है ।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि ग्राम खाका गुडा की जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 के खाता संख्या 20 किता–1 रकबा 00.03.00, खाता संख्या 26 किता–2 रकबा 7.00.00, खाता संख्या 32 किता–1 रकबा 0.03.00, खाता संख्या 38 किता–8 रकबा 5.16.10, खाता संख्या 39 किता–1 रकबा 0.03.00 बीघा भूमिया अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय दौला पिता भीमा जी गुर्जर के नाम पर सहखातेदारी एवं खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी। स्व.दौला पिता भीमा जी गुर्जर के वारिसान दो पुत्रीयां अपीलाण्ट सायरीबाई व केसी बाई एवं एक पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उदयलाल है केसीबाई के फौत होने से उसके विधिक वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 दोनो ही है अपीलांट के पिता स्व. दौला पिता भीमाजी गुर्जर की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत टाडावाडा गुजरान ने बिना जांच किये निर्णित कर देने से उक्त भूमिया अकेले रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उदयलाल के नाम पर दर्ज हो गई व उदयलाल द्वारा उक्त भूमिया विक्रय करने से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मांगीलाल के नाम पर दर्ज हो गई । अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 131 निर्णय दिनांक 24.08.1988 ग्राम पंचायत टाडावाडा गुजरान का निरस्त कराया जावे व स्वर्गीय दौला पिता भीमा जी गुर्जर के वारिसान की जांच कराई जाकर अपीलांट का नाम भी संयक्त रूप से दर्ज कराया जावे ।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पेश लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया । लिखित बहस मे अंकित किया है कि उक्त नामान्तरकरण सही निर्णित हुआ है । अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की वो स्व. दौलाजी की पुत्री है ।सही नामान्तरकरण खुलने के बाद मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को विक्रय वर्ष 2013 मे की है । जिसका उपयोग उपभोग रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा किया जा रहा है अपीलाण्ट यदि कानूनी वारिस होती तो उसका भी नाम वक्त नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त जुड जाता । मनगढन्त तथ्यो के आधार पर 29 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की है जो कानूनी रूप से चलने योग्य नही है । अतः अपीलाण्ट की अपील सव्यय निरस्त फरमाई जावे ।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि अपीलाण्ट स्व. दौला पिता भीमाजी गुर्जर की पुत्री है तो सभी वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण निर्णित होना चाहिये था जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित करते वक्त सभी विधिक वारिसान की जांच नही करना सिद्व होता है जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम के साथ–साथ अपीलाण्ट का नाम भी जोडा जाना न्यायोचित है । चूँकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमिया रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को विकय करने से इनके नाम पर दर्ज हुई है , विधिक वारिसान का नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त किसी वारिसान का नाम छुट जाने से व उसके द्वारा भूमियो को विक्रय कर देने से उसको उसके हक अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है । जिससे अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना व उक्त नामान्तरकरण अपास्त किया जाना न्यायोचित है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:41:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम खाका गुडा ग्राम पंचायत टाडावाडा गुजरान का नामान्तरकरण संख्या 131 निर्णय दिनांक 24.08.1988 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गढबोर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे । निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार गढबोर को भेज लेख है कि निर्णय अनुसार पालना एक माह मे कर पालाना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)